



दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हसनपुर गांव में शनि मंदिर के सामने एसएमआर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बिल्डिंग अनधिकृत है और इसे तथा अन्यो को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर गिरा दिया जाएगा। अतएव, सभी संबंधित लोगों से गिराए जाने की कार्यवाही से पहले इस बिल्डिंग से अपना समस्त सामान हटाने का अनुरोध किया जाता है, अन्यथा दिविप्रा किसी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उप-निदेशक (भूमि प्रबंधन) पूर्वी क्षेत्र

कृपया डीडीए की वेबसाईट 'www.dda.org.in' अथवा 42895566" पर संपर्क करें